जाए लेकिन कमर्शियल में सैल्फ ऑकूपाईड को हमने एग्जम्प्ट नहीं किया क्योंकि केन्द्र से जो ग्रांट आती हैं उसमें इस प्रकार की शर्त थी कि जो भी कमेटीज बनाई जायें वे कम से कम अपने आप सस्टेनेबल हों। लेकिन फिर भी हरियाणा ने एक यूनिक फैसला किया कि जो कमेटी बनाई गई हैं उनको निर्देश दिये गए हैं कि प्रोपर्टी की असैसमैंट के समय जो अपनी प्रापर्टी का सैल्फ डिक्लेरेशन करेगा और उसमें भी जो गरीब आदमी हैं जो कि कमेटियों में 90 परसैंट हाउस कवर करते हैं, जो 250 गज तक के प्लॉट में कवर होते हैं, उनसे सिर्फ टोकन के नाम से कर लिया जायेगा अर्थात् केवल एक रुपया प्रति गज प्रति वर्ष। अगर किसी का प्लॉट 250 गज का है तो एक रुपया प्रति गज के हिसाब से उस पर केवल 250 रुपये ही लिया जायेगा।

(ii) भारी बारिश एवं बाढ़ की वजह से आम जनता तथा विशेषकर किसानों के हुए नुक्सान संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Call Attention Notice from Shri Sampat Singh, M.L.A., regarding the losses suffered by the people of Haryana in general and farmers in particular by floods and rains. I admit it. Shri Kuldip Bishnoi, M.L.A. and Sarvshri Ashok Kumar Arora, Bishan Lal Saini and Ram Pal Majra, MLAs have also given notices of Adjournment Motion on similar subject which were converted into Call Attention Notices No. 5 & 6, respectively and bracketed with Call Attention Notice No. 3. They can also raise supplementaries. Shri Anil Vij, M.L.A. has also given Adjournment Motion Notice No. 7 on the similar subject. He is also allowed to raise supplementary. Now, Shri Sampat Singh, M.L.A. may read his notice.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि गत मास भारी बारिश हुई तथा नदियां विशेषकर घग्गर, यमुना, टांगरी, मारकंड़ा नदियों तथा नालों इत्यादि में भारी बाढ़ थी। इन नदियों में अनगिनत दरारें थीं। इन दरारों से जल प्रवाह निकलने से इन नदियों के साथ लगते कई गांवों में हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। परिणाम-स्वरूप हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ। उनकी फसलें पूर्णतयः नष्ट हो गई तथा कई स्थानों पर उनके घर, घरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा पशु भी बह गए। कुछ शहरी क्षेत्र भी भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जलमग्न थे। यद्यपि यह मामला प्राकृतिक आपदा से संबंधित है फिर भी किसान चिंतित एवं भयग्रस्त हैं वे नहीं जानते कि सरकार उन्हें कैसे मुआवजा देगी तथा आगे आने वाले विध्वंस को कैसे रोकेगी। इसलिए यह जनता से जुड़ा तथा महत्व का विषय है। इसलिए इस विषय पर सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तथा सरकार को इस पर सदन में उत्तर देना चाहिए।

वक्तव्य–

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, a minister will make the statement.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति

पांच से सात जुलाई 2010 को हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, विशेषकर अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर में कैचमैंट एरिया में दूर-दूर तक वर्षा होने से टांगरी, मारकण्डा तथा घग्गर नदियों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इन प्राकृतिक नदियों में भारी मात्रा में ओवर फ्लो होकर बहने लगा। जब पंजाब के फतेहगढ़, पटियाला, रोपड़ जिलों तथा चंडीगढ़ का पानी भी घग्गर व उसकी सहायक नदियों में आ मिला तो स्थिति और खराब हो गई।

पंजाब क्षेत्र में लगभग सभी ड्रेने व चो चैनालाईज्ड कर दिए गए हैं और अन्त में पानी घग्गर नदी और उसकी मुख्य सहायक नदी पच्चीस धारा में आता है। हरियाणा की सीमा के निकट, पंजाब के किसानों ने पच्चीस धारा नदी व घग्गर नदी के किनारों को काट दिया। इस प्रकार बाढ़ का अपार पानी पंजाब की ओर से एस.वाई.एल. नहर में दाखिल हो गया। एस.वाई.एल. नहर की सुरक्षित 5000 क्यूसिक की क्षमता के विरुद्ध इसमें 8000 क्यूसिक से 10000 क्यूसिक पानी दाखिल हो गया और अन्त में 6 जुलाई 2010 को पानी की अधिकता के कारण एस.वाई.एल. नहर कुरुक्षेत्र शहर के पास टूट गई और पानी ओवर फ्लो हो गया। एस.वाई.एल. तथा साथ लगते क्षेत्रों से पानी की विशाल चादर बीबीपुर झील तथा जिसने आगे चलकर पेहवा व कैथल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न की। उफनती हुई घग्गर ने पंजाब के क्षेत्र को पार करके हरियाणा में प्रवेश किया और हांसी-बुटाना, बुटाना ब्रांच-मल्टीपरपज चैनल में कई स्थान पर तट बन्धों को तोड़ा। बाढ़ के पानी को दिन-रात की मेहनत से कैथल ड्रेन के द्वारा घग्गर नदी में मोड़ा गया तथा कैथल शहर को बचाया गया। अम्बाला जिला में टांगरी नदी में पंजाब की ओर से अत्याधिक पानी आया जिसने अम्बाला कैंट, एन.एच-1 तथा अम्बाला रेलवे स्टेशन को बाढ़ ग्रस्त किया। बाढ़ की स्थिति अम्बाला शहर की कालोनियों में भी गम्भीर अनुभव हुई जब गन्दे नाले का पानी बाढ़ ग्रस्त टांगरी में नहीं गिराया जा सका। आखिर टांगरी नदी के बाएं व दाएं किनारों पर कई स्थानों पर तट बन्ध टूट गये जिससे विशाल क्षेत्र में पानी आया। पंजाब की तरफ से बांकरपुर, हन्डेसरा की तरफ से भी घग्गर नदी द्वारा अम्बाला शहर में पानी आया जिसने अम्बाला शहर के शेष हिस्से को भी बाढ़ ग्रस्त किया क्योंकि पंजाब के अधिकारियों ने अभी घग्गर नदी को ख़नौरी से मकशेर साहिब तक 22.45 किलोमीटर की लम्बाई को चैनालाईज्ड कर दिया है और दोनों किनारों पर बांध बना दिए हैं, बाढ़ का इकट्ठा पानी तीव्र गति से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आया जहां घग्गर नदी का सारा पानी चांदपुर साईफन जिसकी क्षमता 22800 क्यूसिक सीमित है, से नहीं गुजर सका ओर पानी रंगोई नाले व जोया नाले में चला गया जिससे फतेहाबाद के क्षेत्र में भीषण इनयूडेशन हुआ। रंगोई नाला के अन्त में एक सिंचाई चैनल जिसका नाम रंगोई काहरीफ चैनल है में बाढ़ आ गई और लगभग 22 किलो मीटर बह गया और अंन्त में घग्गर का पानी 23 किलोमीटर तक पंजाब क्षेत्र के लोहगढ़ से झूण्डा खुर्द गांव तक चल कर हरियाणा के जिला सिरसा के मुस्तबवाला/नेजा डेला और फरवाई कलां में दाखिल हुआ। सिरसा जिला में 80 किलोमीटर तट बन्ध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ

तथा साथ लगते बहुत से क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई। सिंचाई विभाग तथा जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से फतेहाबाद व सिरसा शहर जो लगातार बाढ़ की आशंका से ग्रस्त रहे, लगातार पैट्रोलिंग व समय पर घग्गर के तट बन्धों के टूट को बन्ध करने के कारण बाढ़ से बचाए गए।

हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों पर भारी वर्षा के कारण सोम्ब नदी में, यमुनानगर जिला में भी 25.7.2010 को 50000 क्यूसिक तक पानी का बहाव पाया गया। परिणाम स्वरूप सोम्ब नदी व अन्य छोटी नदियों के बन्धों में कई कटाव हुए। मारकण्डा, शाहबाद नलवी फीडर तथा कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद क्षेत्र में शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी पर भी प्रभाव पड़ा और लगभग 100 कटाव हुए जो भरे जा रहे हैं। यमुना नदी के कैचमैंट क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण, यमुना के भारी बहाव के कारण जाम्भू कलां खिराज पुर तथा कुण्डा कलां; करनाल में भी कई बन्धों को खतरा हुआ।

राहत कार्य

1. मुख्य मंत्री ने तुरन्त हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का स्वयं दौरा भी किया तथा प्रभावित स्थानों व राहत कार्यों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्रियों को राहत व बचाव कार्यों के निरीक्षण हेतु बाढ़ ग्रस्त जिलों का इंचार्ज बनाया गया। राज्य आपदा प्रबन्धन मशीनरी को एक्टीवेट किया गया।

2. आपदा प्रबन्धन की राज्य कार्यकारिणी समिति जिसमें सभी मुख्य विभाग, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है, नियमित हर रोज बाढ़ की स्थिति में सुधार होने तक बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक करते रहे। विभिन्न विभागों जैसे सिंचाई लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, पशु पालन, शहर स्थानीय निकाय, कृषि आदि की धन की आवश्यकता का आंकलन किया गया तथा आपदा राहत कोष से तुरन्त राशि रिलीज किए जाने के आवश्यक निर्णय लिए गए।

3. सेना तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स को कटाव भरने तथा लोगों को बचाने तथा राहत राशि भोजन-पानी आदि उपलब्ध करवाया गया। राहत कार्य जैसे भोजन और दवाईयां देना तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य तुरन्त आरम्भ किए गए। चिकित्सकों व पशु चिकित्सकों की टीमें सभी आवश्यक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने हेतु लगाई गई। बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई को बहाल किया गया तथा सड़क लिंक नुकसान को युद्ध स्तर पर लिया गया।

4. कृषि फसलों विशेषकर धान की फसल को हुए नुकसान का आँकलन करने हेतु मुख्य मंत्री ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिये। राजस्व विभाग ने भी जिलों में मकानों, ट्यूबवैल व पशु धन के नुकसान का आँकलन करने के लिए कहा।

केन्द्रीय टीम का दौरा

जिला कुरुक्षेत्र, अम्बाला व कैथल के लिए 1022.94 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को एक अंतरिम ज्ञापन भेजा गया। पुनः सिरसा व फतेहाबाद जिलों के लिए 346.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अनुपूरक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

ज्ञापन भारत सरकार को भेजा गया। हमने केन्द्रीय सहायता उन चीजों के लिए मांगी हैं जो सामान्यतः सी.आर.एफ. नार्मस में कवर नहीं होती। हमने राहत राशि मौजूदा कृषि लागत के दृष्टिगत सी.आर.एफ. नार्म जो राज्य के वर्तमान नार्म से कम हैं, नार्म रिवाईज करके राहत राशि रिलीज करने पर जोर दिया है। श्री आर.पी. नाथ. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में एक केन्द्रीय टीम ने प्रभावित जिलों का 19.7.2010 को दौरा किया। अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दरें

राज्य सरकार सी.आर.एफ. की दरों के अनुसार देय राहत दरों से अधिक दर पर राहत प्रदान करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने तीन प्रकार की दरों का निर्धारण किया हुआ है और इन दरों को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमने रिवाइज भी किया है। सर, जो 26 से 50 प्रतिशत डैमेज है उसमें व्हीट, पैडी और कॉटन इन तीन फसलों के लिए तीन हजार रुपये प्रति.एकड़ राज्य सरकार ने अपने नोर्म के अनुसार 10 जनवरी, 2007 को निर्धारण किए हैं जो कि आज भी लागू हैं अदर क्राप्स के लिए दो हजार रुपये प्रति एकड़ है। भारत सरकार के सी.आर.एफ. नोर्म के मुताबिक कोई राशि नहीं दी जाती है और सारा खर्चा हरियाणा की सरकार वहन करती है। सर, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत खराबे के लिए व्हीट, पैडी और कॉटन के लिए चार हजार रुपये प्रति एकड़ हरियाणा सरकार की दस जनवरी, 2007 की घोषित नीति के तहत दिए जातें हैं और दूसरी क्राप्स के लिए तीन हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। भारत सरकार में यह नोर्म दो हजार से चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर है यानी 1600 रुपये प्रति एकड़ है। 1600 रुपये और चार हजार रुपये के बीच में जो सारी राशि है उसका खर्चा खुद हरियाणा की सरकार वहन करती है। सर, 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबे के लिए व्हीट, पैडी और कॉटन के लिए हरियाणा सरकार पांच हजार रुपये प्रति एकड़ और दूसरी क्राप्स के लिए चार हजार रुपये प्रति एकड़ देती है। भारत सरकार 1600 रुपये प्रति एकड़ देती है यानी चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और बाकी जो डिफरैंस है पांच हजार रुपये और इसके बीच का, वह हरियाणा की सरकार खुद वहन करती है। सर, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए तो एक्स ग्रेशिया पेमैंट दी जाती है। 38 ऐसे लोग हैं जिनको यह एक्स ग्रेशिया पेमैंट दी जानी है। हरियाणा सरकार के नोर्म के मुताबिक यह देय राशि दो लाख रुपये है और भारत सरकार के नोर्म के मुताबिक यह राशि एक लाख रुपये हैं। सर, इसी प्रकार से जो ट्यूबवैल्ज हैं उनकी क्षति की राशिं सी.आर.एफ. के अधीन कवर नहीं होती है। लेकिन हरियाणा सरकार की 10 जनवरी, 2007 की नीति के मुताबिक पांच हजार रुपये की राशि का निर्धारण किया गया है।

वित्तीय सहायता

वर्ष 2010-11 के आरम्भ में प्रत्येक उपायुक्त को 4.5 लाख रुपये बाढ़ की स्थिति के आरम्भिक उपाय तथा लोगों के कष्टों के निवारण हेतु दिए गये थे बाद में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नीचे लिखे फण्ड्स स्वीकृत किए गए :--

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत राशि करोड़ों में	उद्देश्य
1.	अम्बाला	₹ 01.76	एक्स ग्रेसिया/मकानों/गिरे मकानों की मुरम्मत, भोजन-कपड़ा-चारा आदि
2.	कुरुक्षेत्र	₹ 00.74	-सभ-
3.	कैथल	₹ 00.29	मकानों/गिरे मकानों की मुरम्मत, भोजन-कपड़ा-चारा आदि
4.	सिरसा	₹ 02.07	राहत, बचाव तथा एक्स ग्रेसिया
5.	फतेहाबाद	₹ 00.96	राहत, बचाव कार्य तथा एक्स ग्रेसिया
6.	यमुनानगर	₹ 00.50	एक्स ग्रेसिया / मकानों की मुरम्मत
7.	जींद	₹ 00.08	एक्स ग्रेसिया
	कुल	₹ 06.40	

2. क्षति ग्रस्त हुए संसाधनों के पुनः सुधार व लोगों के कष्टों को कम करने के लिए निम्नलिखित फण्ड्स विभिन्न-2 विभागों को दिए गए :--

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत राशि करोड़ों में	उद्देश्य
1.	लोक निर्माण भवन एवं सड़कें	₹ 40.00	सड़कों की मुरम्मत
2.	सिंचाई	₹ 24.00	खराब हुये कृषि एवं खाद्य नियंत्रण कार्य हेतु
3.	बिजली विभाग	₹ 20.00	खराब हुये ट्रांसफार्मरज़ आदि
4.	शहरी स्थानीय निकाय	₹ 20.00	सड़कों व पुलों की मुरम्मत
5.	स्वास्थ्य	₹ 05.00	दवाईयों की खरीद
6.	पशु पालन	₹ 01.50	पशुओं की दवाईयों की खरीद
7.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्य विभाग	₹ 01.50	पानी निकासी/उतारने
8.	कृषि	₹ 02.39	सड़कों व संसाधनों की मुरम्मत
9.	पंचायत	₹ 10.00	सामुदायिक सम्पत्तियों
	कुल :	₹ 123.94	

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

मानवीय मृत्यु

38 मानवीय मृत्यु हुई। प्रत्येक के लिए निकट संबंधियों को राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

मुआवजा देकर

1. कृषि विभाग

फसलवार प्रभावित रकबा पहचाना गया तथा किसानों को बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसल लेने बारे शिक्षा दी गई।

यदि धान की पनीरी उपलब्ध है तो क्षतिग्रस्त रकबे में धान की रोपाई दोबारा करने हेतु किसानों को मंत्रणा दी गई। किसानों को खेत खाली रहने पर अगस्त के अन्त में तोरिया जैसी फसलें लेने की भी मंत्रणा दी गई।

किसानों को साथ के जिलों और राज्य में उपलब्ध फालतू धान के लिए मार्ग दर्शन दिया गया। उपलब्ध फालतू पनीरी की सूचना किसानों के सम्पर्क नम्बरों तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई तथा मुख्य स्थलों पर प्रदर्शित की गई।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के अन्य फसलें लेने हेतु जागरुकता के लिए प्रचार किया गया।

धान बासमति, मूंग और उड़द के प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत सबसीडाईज्ड रेटस पर दिए गए। शंकर मक्की के बीज किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए गए। शंकर बाजरा, तोरिया व बाजरा के बीज मिनी किट्स के रूप में किसानों को मुफ्त दिए गए। बीज वितरण पर सब्सिडी हरियाणा बीज विकास निगम के सेल आउट लेट्स पर उपलब्ध थी।

आज तक विभिन्न फसलों का लगभग 4205 क्विंटल प्रमाणित बीज 2.45 करोड़ रुपये के खर्च से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किया जा चुका है।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की दोबारा बिजाई के कारण खरीफ 2010 के लिए मांग पूर्ण करने हेतु यूरिया खाद की एलोकेशन 8.50 लाख मी. टन से बढ़ाकर 9.00 लाख मी. टन तथा डी.ए.पी. की ऐलोकेशन 3.20 लाख मी. टन से बढ़ा कर 3.60 लाख मी. टन की गई।

विभाग द्वारा उचित व समय पर उठाए गए कदमों के फलस्वरूप लगभग समस्त बाढ़ प्रभावित रकबे पर धान या अन्य फसलें लग गई हैं।

सिंचाई विभाग

सरकार ने बाढ़ों पर नियंत्रण के प्रयास में बाढ़ नियंत्रण की 149 स्कीमें जिनका कुल खर्च 522.18 करोड़ रुपये है जिनमें से 72 नई और 77 पुरानी चल रही हैं, मंजूर

की हैं, इनमें से 63 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 37 पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 779 ड्रेनों में से मानसून का मौसम आरम्भ होने से पूर्व 358 ड्रेनों को साफ किया गया था।

सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से यमुना नदी को टेम करने तथा भूमि कटाव को रोकने के लिए 2009 में 173.55 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की है। इस परियोजना पर 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी और 7.73 करोड़ रुपये के खर्च 13 वर्क्स, यमुना नदी के साथ-साथ किए गए हैं, जिनके कारण इस वर्ष यमुना नदी के बाढ़ के प्रकोप से बचा जा सकता है। 2010 में सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड वर्क्स पर 106.60 करोड़ रुपये का खर्चा किया है।

हाल में ही 25.8.2010 को सी.डब्ल्यू.सी. की घग्गर स्टैंडिंग कमेटी ने एक कमेटी जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के चीफ इंजीनियर्स सी.डब्ल्यू.सी. के अधिकारियों के साथ होंगे, बनाई है जो घग्गर नदी व इसकी सहायक नदियों को टेम करने के लिए इन तीन राज्यों के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी। इस तरह की घटनायें दोबारा न हों इसके लिए हरियाणा सरकार के नहर विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं --

- 311 कटावों में से 255 कटाव भरे जा चुके हैं। सभी प्राकृतिक नदियों और नालों को गहरा, चौड़ा व साफ किया जाएगा।
- सी.डब्ल्यू.सी. की कमेटी को उचित सुझाव दिए जाएंगे कि पंजाब राज्य को घग्गर को उनके क्षेत्र में चैनालाईज न किया जाए तथा छोटे डैम बना कर पानी का भण्डारण किया जाए।
- नहरों, ड्रेन्स तथा नदियों को पानी की सुरक्षित निकासी के लिए साफ रखा जाएगा।
- पंजाब व राजस्थान के साथ इंटर स्टेट मामले सुलझाए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग

1778 किलोमीटर की 1000 सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई थीं। पानी में डूबने के कारण इनमें से अधिकतर सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 480 सड़कों पर यातायात निलम्बित किया गया था। इन 480 में से 451 सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं। शेष 29 सड़कों पर रिस्टोरेशन का काम चालू है और यह भी एक मास के समय में यातायात के लिए खोल दी जाएगीं।

इसके अतिरिक्त पुलों को भी भारी नुकसान हुआ जिसके कारण पुलों के अपरोचिस अपरोच स्लैब, गाईड बंध, फ्लोरस व विंग वालस भी बह गए। जिसके कारण कुछ सड़कों व पुलों पर यातायात निलम्बित रहा। इन पुलों पर यातायात बहाल करने का काम किया गया है। हालांकि बाढ़ में क्षति ग्रस्त हुई विभिन्न सड़कों की मुरम्मत के लिए एस्टीमेटस की मंजूरी की प्रत्याशा में निविदाएं मंगवाने की अपेक्षित अनुमति तथा फण्ड्स सरकार द्वारा दिए गए हैं तदनुसार 2762 लाख रुपये की 12 निविदाएं आमंत्रित की गई तथा इन कार्यों की अलाटमैंट का कार्य किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जन स्वास्थ्य

जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तुरन्त कार्य क्षेत्र में आया तथा शहरी व देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सिस्टम को तुरन्त सुचारू किया गया। बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

-- लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति टैंकरों से की।

-- बाढ़ का पानी रा वाटर स्टोरेज टैंकों व क्लीयर वाटर स्टोरेज टैंकों में भी चला गया था, उन्हें साफ व डी-सिल्ट किया गया।

-- इन शहरों में वितरण प्रणाली को तुरन्त ठीक किया गया।

-- बिजली के उपलब्ध न होने पर ट्यूबवैल चलाने के लिए डीजल जनरेटर सैट किराए पर लिए गए।

-- पानी से उत्पन्न बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए सुपर क्लोरीनेशन किया गया।

-- सीवरेज सिस्टम में भी बाढ़ का पानी घुस गया जिसके कारण प्रणाली में बहुत सी सिल्ट चली गई थी। इसलिए सीवर की लाईनें और मेन होल तुरन्त साफ व डी सिल्ट किए गए इसके अतिरिक्त पम्पिंग सैट व पैनल बोर्डों को डिस्पोजल वर्क्स पर मुरम्मत किया गया।

स्वास्थ्य

-- अम्बाला जिला में 65, कुरुक्षेत्र जिला में 143, कैथल जिला में 77, फतेहाबाद में 88 तथा सिरसा में 50 मैडीकल व पैरा मैडीकल स्टाफ टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

-- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी के सैम्पल नियमित तौर पर लिए गए।

-- मुख्यालय पर हर रोज दवाइयों के स्टाक की स्थिति तथा बाढ़ राहत उपायों की लोजिस्टिक प्राप्त की गई। सिविल सर्जन्ज ने उपाय किए कि दवाईयां सभी स्तरों पर बिना किसी बाधा के उपलब्ध हों। प्रत्येक स्वास्थ्य फैसिलिटी पर पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध करवाए गए।

पशु पालन

विभाग ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम वैटनरी तथा पैरा वैटनरी स्टाफ की 268 विशेष टीमें बनाकर, सुचारू रूप से चलाया। टीकाकरण, डी.वाटरिंग, बीमार पशुओं के इलाज, 1440 वैटरनरी हैल्थ कैम्प लगाकर 501 बाढ़ ग्रस्त गांवों के 26,82,357 पशुओं को कवर करते हुए मिनरल मिजर की आपूर्ति की जिससे किसी भी कानटेजिएस या इनफैक्सीअस बीमारी की घटना राज्य के पशुओं में नहीं हुई।

सहकारिता विभाग

2010 खरीफ में लघु अवधि के ऋण जो मीडियम टर्म लोन में राज्य में बाढ़ के कारण बदले जाएंगे, की लगभग राशि इस प्रकार है --

क्र.सं.	नाम डी.सी.सी.बी.	राशि जो कन्वर्ट होगी
1.	यमुनानगर	17.09
2.	अम्बाला	32.00
3.	कुरुक्षेत्र	70.00
4.	कैथल	32.70
5.	फतेहाबाद	38.00
6.	सिरसा	18.43
	कुल	208.22

पावर

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की बाधित हुई आपूर्ति रिस्टोर करने के लिए हरियाणा पावर यूटीलीटीज ने विशेष प्रबंध किए।

-- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि जिन किसानों की भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है और वह खेतों में दोबारा बिजाई नहीं कर सके उनके बिजली के बिलों की प्रतिपूर्ति की जाए। भुआवजे की राशि न्यूनतम मासिक चार्ज, यानी 200/- रुपये प्रति बी.एच.पी. वार्षिक आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें पम्प सैट/भूमि पानी में डूबी रही, बिना इस बात के कि ट्यूबवैल खराब हुआ या नहीं, के बराबर होगी।

-- 12 पावर सब स्टेशनों जो पानी में डूब गए थे, के इनस्टालेशन व कीमती सामान की मरम्मत करके तुरन्त आपूर्ति बहाल की गई।

-- आपूर्ति बहाल करने के लिए 743 वितरण ट्रांसफार्मर्स जो विभिन्न मात्रा के थे और पानी में डूब गए थे, बदले गए हैं।

-- 301 वितरण ट्रांसफार्मर्स जो बाढ़ में थोड़े खराब हुए थे मरम्मत कर दिए गए हैं।

-- बाढ़ में क्षतिग्रस्त 1476 बिजली के पोल बदले गए।

-- 400 एस.पी. मीटर बदले गए।

-- कैथल ड्रेन व हांसी बुटाना नहर व ज्योतिसर में 7 किलोमीटर किनारे पर रोशनी किए जाने के विशेष प्रबन्ध किए गए थे ताकि बहते पानी पर 24 घण्टे निगरानी रखी जा सके।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

सिरसा जिले में घग्गर नदी के बांध के दोनों किनारों पर 100 किलोमीटर में रोशनी का प्रबन्ध किया गया ताकि कटावों को भरा जा सके।

फसलों के निरीक्षण की रिपोर्ट

गिरदावरी रिपोर्टों के आधार पर 2,26,175 एकड़ में फसलों को 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच में ज्यादा क्षति हुई और राज्य सरकार के नार्मस के अनुसार 111.95 करोड़ रुपये किसानों को निम्न प्रकार से देय बनते हैं--

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षतिवाला क्षेत्र जहां नुकसान 25% से अधिक हुआ (एकड़ों में)	राहत राशि देय
1.	फतेहाबाद	66,613 एकड़	32,46,54,000/-
2.	सिरसा	33,171 एकड़	16,53,29,000/-
3.	कुरुक्षेत्र	53,813 एकड़	26,46,19,000/-
4.	अम्बाला	16,436 एकड़	7,89,60,000/-
5.	कैथल	54,708 एकड़	27,15,46,390/-
6.	यमुनानगर	1,434 एकड़	58,43,000/-
	कुल	2,26,175 एकड़	1,11,09,51,390/-

सर, ये 111 करोड़ 95 लाख रुपये बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को आपकी अनुमति से बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह सारा पैसा रिलीज कर दिया गया है और बहुत जल्दी किसानों में इसका वितरण हो जाएगा।

ट्यूबवैलों की क्षति

उपायुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार ट्यूबवैलों की क्षति इस प्रकार है :

क्र. सं.	जिले का नाम	ट्यूबवैलों की क्षति
1.	यमुनानगर	08
2.	कुरुक्षेत्र	343
3.	फतेहाबाद	1144
4.	अम्बाला	185
5.	सिरसा	133
6.	कैथल	231
	कुल	2044

इस मद पर राहत देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

जैसे मैंने बताया 5000 रुपये के हिसाब से भारत सरकार का कोई नार्म्स नहीं लेकिन हमारी जनवरी, 2007 की नीति के मुताबिक यह राशि दी जानी है। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया है कि अगले 30 से 40 दिनों के अंदर यह सारी राशि किसानों को भिजवा दी जाएगी और इसका वितरण करवा दिया जाएगा।

मकानों की क्षति

उपायुक्त यमुनानगर ने अब तक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 47,87,500/- रुपये वितरण किए हैं। उपायुक्त अम्बाला ने भी 35,65,500/- रुपये वितरित कर दिए हैं। उपायुक्त सिरसा को 2.91 करोड़ रुपये की राशि मकानों की क्षति के लिए राहत देने के लिए दी जा चुकी है। अन्य जिलों में पानी देर से उतरने के कारण सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है। राहत शीघ्र दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहूंगा कि 111 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि जो हमारे नार्म्स हैं उसके मुताबिक हमने दी है कल ही इस सदन में एक सदस्य जो अब हाउस से चले गए हैं, कह रहे थे कि राजस्थान में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रिलीफ दी जा रही है। कोई भी सम्मानित सदस्य कुछ कहे, चाहे चौटाला जी भी कुछ कहें तो मुख्यमंत्री जी उसको गम्भीरता से लेते हैं। हमने राजस्थान सरकार से चैक करवाया है और हमें पता चला है जो राशि इस साल दी जा रही है वह पिछले साल की थी। एक तो यह बात उनकी असत्य थी और गलत थी। दूसरी बात वहां 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं बल्कि 1600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रिलीफ दी जा रही है जबकि हमारी सरकार 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा देती है। इस प्रकार उनकी दोनों बातें जो इस सदन के पटल पर की गई वे असत्य थी और उन्होंने असत्य कहकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब में सरकार मुआवजा बांट रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बहुत ही जिम्मेवारी के साथ सदन में कहना चाहूंगा कि हरियाणा में भूमि अधिग्रहण की नीति अपने आप में एक अनोखी नीति है। हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को राहत देने की नीति जनवरी, 2007 में बनाई गई थी वह भी एक अनोखी नीति थी। पंजाब ने जुलाई, 2010 में पहली बार हरियाणा की नीति को एडोप्ट किया न कि हरियाणा ने पंजाब की नीति को एडोप्ट किया। जनवरी, 2007 की नीति के अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी की किसानों के प्रति जो कमिटमैंट है वह बेजोड़ है। यह राशि भिजवा भी दी गई और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर इस पर चिंतन किया। इसके बारे में कुछ निर्णय भी लिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी सदन में करना चाहेंगे इसलिए मैं आपकी अनुमति से उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बताएं कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए और क्या-क्या कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाढ़ का नुकसान है या और किसी वजह से किसान का नुकसान होता है या अकाल की वजह से नुकसान होता है तो जो नार्म्ज हैं उनमें हरियाणा सबसे ज्यादा राहत देता है इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में जो नार्म्ज हैं उसके मुताबिक 75 से 100 प्रतिशत नुकसान पर 5000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है लेकिन उससे कम नुकसान पर 3000 और 2000 रुपये प्रति एकड़ है। जबकि हमारे यहां 5000 रुपये 76 से 100 प्रतिशत नुकसान पर मुआवजा देते हैं उससे कम पर 4000 और 3000 रुपये प्रति एकड़ है। जिस प्रकार लोगों का नुकसान हुआ है और हमारे मंत्री जी ने यह बताया है तो अभी सरकार ने फैसला किया है कि हम जो 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दें रहे हैं, 4000 और 3000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं इसमें 500 रुपये प्रति एकड़ बढ़ाये जाते हैं और जहां तक ट्यूबवैल्ज का नुकसान होने पर पहले 5000 रुपये देते थे उसमें भी बढ़ौतरी करके 17.00 बजे 7500 रुपये कर दियां गया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बात के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं कि ऐसे ओखे वक्त में हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को जो कंपन्सैशन, एक्सग्रेशिया और स्पोर्ट मिल रही है वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां एक्सग्रेशिया की अमाउंट सैंग्शन की है उसका अब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इसी तरह से क्रोप्स की अमाउंट सैंग्शन होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन न होना। इसी तरह से जिनके हाउसिज डैमेज हुए हैं, उनके रिहैबलिटेशन के लिए सरकार ने सराहनीय कदम उठाये हैं, मगर क्या उनके लिए भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इस बारे में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने 30-40 दिनों का कहा है उसकी बजाय किसानों को तुरंत मुआवजा मिल जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त जो 500 रुपये की बढ़ौतरी की है इसके लिए मैं सरकार को एप्रीशिएट करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए बड़े फिराखदिल हैं, मैं चाहूंगा कि जो 5000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा बढ़ाकर 5500 रुपये किया है यह महंगाई के हिसाब से कम पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री जी से दोबारा से आग्रह करूंगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बढौतरी करनी चाहिए ताकि आज के महंगाई के जमाने में किसानों को अच्छी मदद मिल सके। अध्यक्ष महोदय, क्रोप्स के लिए, हाउस के लिए और ह्यूमन लाईफ के लिए पैसा दिया जा रहा है लेकिन इसमें कैटल लौसिज का जिक्र नहीं है इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैटल लौसिज की क्या पॉलिसी है। स्पीकर सर, मुझे दो सवाल पूछने का ही अवसर मिला है इसलिए इसी सवाल में मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं और उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि घग्गर और यमुना आदि नदियों की वजह से जिन एरियाज में बाढ़ आई थी उन एरियाज में मुआवजा दे दिया लेकिन बरसात की वजह से भी नारनौल और भिवानी आदि जिलों में बाढ़ आई थी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है क्या उन एरियाज में भी लौसिज को पूरा करने के लिए सरकार कम्पन्सैशन देगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी ने तीन प्रश्न पूछे हैं इनका पहला प्रश्न था कि कौन-कौन सी राशि है और वह कितने दिनों में वितरण की

जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 38 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें दो-दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक्सग्रेशिया के रूप में वितरित किए जा चुके हैं और बैनीफिशरीज को पैसे मिल भी चुके हैं जहां तक बाढ़ की वजह से जो फसल बरबाद हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि 2,26,175 एकड़ फसल की गिरदावरी हो चुकी है उसके लिए 11,19,51,390 रुपये हरियाणा सरकार ने संबंधित डी.सीज. को भेज दिए हैं और आने वाले 15-20 दिन में या उससे पहले यह राशि डिस्ट्रीब्यूट हो जायेगी इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 500 रुपये की बढ़ौतरी की घोषणा की है जिसके कारण अतिरिक्त तकरीबन 11 या 11.50 करोड़ रुपये बनेगी इसको हम 2,26,175 एकड़ भूमि जिसकी गिरदावरी हो चुकी है उस पर भी लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की वजह से प्रदेश में 2044 ट्यूबवैल्ज को क्षति हुई है जिसकी अभी चर्चा की गई थी। उनकी राशि भी बहुत जल्दी रिलीज कर रहे हैं उस राशि के अंदर जो 2500 रुपये की बढ़ौतरी का इजाफा कर दिया है वह भी साथ मिलाकर दी जायेगी। इससे किसानों को 50 से 70 लाख रुपये का लाभ होगा। यह मैं इस समय यहां जो मोटा-मोटा कल्कूलेट कर पाया हूं वह बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से पहले फसल की खराबे के नार्म्ज 26 से 50 प्रतिशत के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ थे। उन नार्म्ज को हमने बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति एकड़ व्हीट, पैडी और कोटन की फसलों के लिए किया है और बाकी के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ किया है। 51% से 75% के लिए 2250/- रुपये के नार्म्ज थे जिन्हें हमने बढ़ाकर 4,000/- रुपये प्रति एकड़ किया था, 76% से 100% के बीच के नुकसान के लिए मुआवजे के नार्म्ज थे 3,000/- रुपये प्रति एकड़ जिन्हें हमने बढ़ाकर 5,000/- रुपये कर दिया, जिनमें अब 500-500 रुपये का इजाफा और हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीसरा प्रश्न कैटल लॉसिज और उसकी पॉलिसी के बारे में पूछा है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके तहत जो हम पैसा देते हैं मेरे पास उसकी लिस्ट है जिसे हमने पार्शली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस सम्बन्ध में सरकार की जो नई नीति है उसके बारे में मैं आपकी अनुमति से आपकी और सदन की जानकारी के लिए बता देता लेकिन वह काफी डिटेल में हो जाता। सर, सरकार की पॉलिसी के अनुसार पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए अलग-अलग नार्मज फिक्स किये गये हैं अब मैं उनके बारे में सदन को अवगत करवाना चाहूंगा। इसके तहत ऊंट के लिए हमारा 10,000/- रुपये का नॉर्म है, हॉर्स व मेयर के लिए भी 10,000/- रुपये का नॉर्म है, बैल और भैंस के लिए 10,000/- रुपये का नॉर्म है, जो अमेरिकन हाई-ब्रिड गाय है उसके लिए 10,000/- रुपये का नॉर्म है और जो देसी गाय है उसके लिए 5,000/- रुपये का नॉर्म है, डोंकी के लिए 2,000/- रुपये का नॉर्म है, म्यूल के लिए 5,000/- रुपये का नॉर्म है, जो भैंस का कटड़ा तीन साल तक की उम्र का हो उसके लिए अलग से 2,000/- रुपये का नॉर्म है, भेड़ और बकरी दोनों के लिए 2,000/- रुपये का नॉर्म है जिसमें से पार्शली राशि हम बांट चुके हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में जो बाढ़ आई उससे प्रदेश में बड़ा भारी नुकसान हुआ जिसके बारे में जिक्र भी किया गया है। यह बाढ़ क्यों आई इसके कारण भी बताये गये। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

कि इन्होंने कहा है कि सरकार ने 5,000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल के नुकसान का मुआवजा दिया है जिसे बढ़ाकर अब 5,500/- रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। मैं हाऊस के नेता को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 7-8 साल पहले जब वे विपक्ष में बैठा करते थे उस समय उन्होंने स्वयं मांग की थी कि यह मुआवजा राशि 10,000/- रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सभी प्रकार की लागतें बढ़ने से किसानों का फसल की बिजाई और उसे पकाने के लिए खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अपनी कही हुई बात को आगे बढ़ाकर किसानों को उसके बढ़े हुए खर्चे के मुताबिक रिलीफ देंगे? दूसरा मंत्री जी ने अपने जवाब में गेहूं के साथ-साथ धान की बात भी की लेकिन गन्ने का कहीं भी जिक्र नहीं किया जबकि गन्ने की फसल पूरे साल में एक बार ही होती है जिसके ऊपर किसान की लागत कम से कम 20,000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आती है। इस बाढ़ में गन्ना उत्पादकों का भी काफी नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा कि गन्ने की फसल को भी मुआवजे के तहत काऊंट किया जाये और गन्ना उत्पादक किसानों के नुकसान की भरपाई भी सरकार द्वारा उसके नुकसान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा की जाये। इसके साथ-साथ मंत्री जी ने यह भी कहा कि ट्यूबवैल के नुकसान के मुआवजे की राशि को सरकार द्वारा 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 7,500/- कर दिया गया हैं जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें भी थपथपाई गई। स्पीकर सैर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज अगर कोई किसान अपना ट्यूबवैल लगाना चाहे तो उस पर कम से कम 2,00,000/- रुपये ख़र्च होते हैं इसलिए मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या ट्यूबवैल की मुआवजा राशि को और बढ़ाया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की किसानों को लेकर जो चिंता है वह वाजिब है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो उस समय जब गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ने का 25% से 50% तक का खराबा हुआ करता था तो इनकी सरकार द्वारा 1,250/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जब गन्ने में 51% से 75% तक का खराबा हुआ करता था तो इनकी सरकार द्वारा 1,875/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जब गन्ने में 76% से 100% तक का खराबा हुआ करता था तो इनकी सरकार द्वारा 2,500/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था और आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात् 25% से 50% तक के नुकसान के लिए 2500/- रुपये, 51% से 76% तक के नुकसान के लिए 3500/- रुपये, 76% से 100% तक के नुकसान के लिए 4500/- रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ राजनीति का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह जरूर याद दिलाना चाहूंगा जैसा कि आप भी जानते हैं क्योंकि आप और हम भी उस समय के भुगतभोगी हैं कि यहां पर 25 पैसे, 50 पैसे, एक रुपया विपक्ष की सरकार के समय में बाढ़ की मुआवजा राशि के तौर पर आबंटित किये जाते थे।